



Neutral Citation No. - 2026:AHC:16695

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 44613/2025

राम सुमेर

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: देवरषि कुमार राय, कमलेश कुमार

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रत्यर्थी इस आदेश से व्यथित महसूस करता है/करती है, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. याची ने प्रत्यर्थी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, सोरांव, प्रयागराज को यह निर्देश देने की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है कि वे वाद संख्या टी201802030306281 (नंकूलाल सरोज एवं अन्य बनाम धनोराम एवं अन्य) को शीघ्रता से तय करें।
4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 202 के तहत दायर उपरोक्त वाद लंबे समय से लंबित है और काफी समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
5. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 उपरोक्त वाद को शीघ्रता से तय करेंगे।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
7. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में, प्रत्यर्थी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, सोरांव, प्रयागराज को यह निर्देश दिया जाता है कि वे सभी आवश्यक पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार सख्ती से और शीघ्रता से तथा अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर उक्त वाद का इसके गुण-दोष के आधार पर निस्तारण करें, लेकिन किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



22 जनवरी, 2026

सकलन

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"